

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 45/2019

निर्णय दिनांक - 08.05.2019

ज्ञानमल पिता मुकुन्दलाल जी जाति महाजन (अग्रवाल) आय वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- प्रार्थी

//बनाम//

1. शिवलाल मुत्तबन्ना भोलिराम जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. राधेश्याम पिता बालमुकुन्द जाति कुलमी आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. शिवप्रकाश पिता उदयलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. रामगोपाल पिता उदयलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कैली तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने शामलाती खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा कैली की खाता संख्या 491 आराजी नं0 1317 रकबा 1.7800 हेक्टेयर, आराजी नं0 1318 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, आराजी नं0 1319 रकबा 0.5200 हेक्टेयर, आराजी नं0 1320 रकबा 0.5900 हेक्टेयर, आराजी नं0 1321 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, आराजी नं0 1322 रकबा 0.6200 हेक्टेयर, आराजी नं0 1323 रकबा 0.4900 हेक्टेयर आराजी नं0 1348 रकबा 0.5200 हेक्टेयर, आराजी नं0 1349 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, कुल किता 9, कुल रकबा 5.0400 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा कैली की खाता संख्या 491 आराजी नं0 1317 रकबा 1.7800 हेक्टेयर, आराजी नं0 1318 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, आराजी नं0 1319 रकबा 0.5200 हेक्टेयर, आराजी नं0 1320 रकबा 0.5900 हेक्टेयर, आराजी नं0 1321 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, आराजी नं0 1322 रकबा 0.6200 हेक्टेयर, आराजी नं0 1323 रकबा 0.4900 हेक्टेयर आराजी नं0 1348 रकबा 0.5200 हेक्टेयर, आराजी नं0 1349 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, कुल किता 9, कुल रकबा 5.0400 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 08.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

